न्यायालय जिला कलक्टर (आरबीट्रेटर), सिरोही
बईजलास श्रीमती अल्पा चौधरी, आई.ए.एस.

प्रार्थना–पत्र संख्या 10/2024

प्रार्थी

1. **श्रीमती कल्पना पत्नि श्री सज्जनसिंह जाति राजपूत निवासी जादौन कृषि फार्म, आई. टी.आई. रोड सांतपुर तहसील आबूरोड जिला सिरोही।**
2. **श्री सज्जनसिंह पुत्र स्व. श्री नरेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी जादौन कृषि फार्म, आई.टी.आई. रोड सांतपुर तहसील आबूरोड जिला सिरोही।**

बनाम

विपक्षीगण

1. **सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति प्राधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), आबूरोड जिला सिरोही।**
2. **प्रोजेक्ट डायरेक्टर (Deputy Chief Engineer Construction, Aburoad) तारंगाहिल –अम्बाजी–आबूरोड नई रेलवे लाईन, रेलवे अस्पताल के पास आबूरोड तहसील आबूरोड जिला सिरोही।**

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी)(5) नेशनल हाईवे एक्ट 1956 सपठित आरबीट्रेशन एण्ड कन्सीलेशनरल एक्ट, 1996

उपस्थिति :–

1. श्री दिनेश कुमार सुराणा, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. पेरोकार सरकार नायब तहसीलदार आबूरोड अप्रार्थी संख्या एक की ओर से।
3. श्री वीरेन्द्र एम चौहान, अधिवक्ता एवं श्री थानाराम प्रतिनिधी अप्रार्थी संख्या दो की ओर से।

:: निर्णय ::

दिनांक : 05.12.2025

प्रार्थी ने यह प्रार्थना–पत्र धारा 20(F)(6) रेलवे(संशोधित) अधिनियम, 2008 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) उपखण्ड अधिकारी आबूरोड द्वारा मौजा सांतपुन तहसील आबूरोड जिला सिरोही के खसरा संख्या 466, 1399/476, एवं 484 की भूमि तारंगाहिल–अम्बाजी–आबूरोड रेलवे लाईन हेतु अवाप्त की गई भूमि के दिए गए मुआवजे से असहमत होकर यह प्रार्थना पत्र आरबीट्रेशन एण्ड कन्सीलेशनरल एक्ट 1996 के तहत् आरबीट्रेशन की कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किए गए, जिस पर अप्रार्थी संख्या दो की ओर से अधिवक्ता श्री वीरेन्द्र एम चौहान ने जरिए वकालतनामा के उपस्थिति दी एवं प्रकरण में अप्रार्थी संख्या एक व दो द्वारा जवाब प्रस्तुत किया, जो शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में दोनों पक्षों की विस्तृत बहस सुनी गई। प्रार्थी के लायक अधिवक्ता श्री दिनेश सुराणा की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण के संयुक्त कब्जे, खातेदारी का खसरा संख्या 484 रकबा 0.1265 हैक्टैयर किस्म गैर मुमकिन अरठ (कुंआ) ग्राम सांतपुर, पटवार क्षेत्र सांतपुर,

आर्बीट्रेटर
जिला कलक्टर, सिरोही

तहसील आबूरोड, जिला सिरोही में आया हुआ है, उक्त गैर मु. अरठ में प्रार्थी संख्या एक कल्पना का 1/4 खातेदारी हक हिस्सा एवं प्रार्थी संख्या दो सज्जनसिंह का 1/4 खातेदारी हक हिस्सा है, शेष हिस्सा अन्य सह खातेदारों का है। इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण की कब्जे, खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 1399/476 रकबा 0.1391 हैक्टेयर, खसरा संख्या 466 रकबा 0.9610 हैक्टेयर भूमि ग्राम सांतपुर पटवार क्षेत्र सांतपुर तहसील आबूरोड जिला सिरोही में आई हुई है। उक्त कृषि भूमि एवं इसके अलावा ग्राम सांतपुर में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि को खसरा संख्या 484 में स्थित गै.मु.अरठ (कुंए) से सिंचित किया जाता रहा है। उक्त कृषि भूमि उपजाउ है एवं उसमें तीन फसलें होती है। उक्त कृषि भूमि पर वर्षों से सौंफ, अरण्डी की फसलें भी होती रही है। यह कि अप्रार्थी संख्या एक ने तारंगाहिल–अम्बाजी–आबूरोड विशेष रेल्वे लाईन परियोजना के लिए प्रार्थीगण के संयुक्त कब्जे, खातेदारी की उपरोक्त वर्णित गैर मुमकिन अरठ (कुंआ) जिसमें प्रार्थी संख्या एक का 1/4 खातेदारी हक हिस्सा तथा प्रार्थी संख्या दो का 1/4 खातेदारी हक हिस्सा है, को अवाप्त करने का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 10 मई 2023 को प्रकाशित किया गया है। उक्त गैर मुमकिन अरठ (कुंआ) पर प्रार्थी संख्या दो सज्जनसिंह के नाम से विद्युत कनेक्शन लिया हुआ है। उक्त कुएं पर प्रार्थीगण की विधुत मोटर लगी हुई है, जिससे प्रार्थीगण अपनी–अपनी खातेदारी की कृषि भूमि पर सिंचित खेती करते आ रहे है। यह कि उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि खसरा संख्या 466 की भूमि में से 0.4703 हैक्टेयर कृषि भूमि को अवाप्त करने की तथा खसरा संख्या 1399/476 की कृषि भूमि रकबा 0.1391 हैक्टेयर को अवाप्त करने की अधिसूचना रेल मंत्रालय (उत्तर–पश्चिम रेल निर्माण संगठन) (उत्तर–पश्चिम रेल (निर्माण संगठन)), ने भारत के राजपत्र (The Gazette of India) में दिनांक 10.05.2023 को प्रकाशित करवायी है, जिसकी अधिसूचना का नम्बर सी.जी. –आर.जे.अ.–11052023–245789 है। यह कि इसके पश्चात् रेल मंत्रालय (उत्तर–पश्चिम रेल (निर्माण संगठन)) ने दिनांक 22.08.2023 को प्रार्थीगण की कृषि भूमि की अवाप्ति के सम्बन्ध में संशोधित अधिसूचना भारत के राजपत्र (The Gazette of India) में दिनांक 22.08.2023 को प्रकाशित करवायी है, जिसकी अधिसूचना का नम्बर सी.जी. आर.जे.अ.–24082023–248322 है, जिसके अनुसार अप्रार्थी संख्या एक ने प्रार्थीया की कृषि भूमि खसरा संख्या 466, खाता संख्या 538 के कुल 0.9610 हैक्टेयर में से 0.4013 हैक्टेयर कृषि भूमि को तथा खसरा संख्या 1399/476 खाता नम्बर 538 के कुल रकबे 0.1391 हैक्टेयर में से 0.1361 हैक्टेयर कृषि भूमि को अवाप्त करने का एवं खसरा संख्या 484. खाता संख्या 93 कुल रकबा 0.1265 हैक्टेयर किस्म गै.मु.अ. (कुंए) के प्रार्थीगण के 1/4, 1/4 हिस्से को तथा अन्य सह खातेदारों के 1/2 हिस्से को अवाप्त करने की अधिसूचना प्रकाशित करवायी है। उक्त सूचना में एवं पूर्व की अधिसूचना में खसरा संख्या 484, खाता संख्या 93 के रकबे में व हिस्से में 0.0055 हैक्टेयर प्रार्थी की बढ़ा कर यानि सम्पूर्ण खसरा संख्या 484 की भूमि मय कुंआ को अवाप्त किया गया है। यह कि अप्रार्थीगण ने प्रार्थी संख्या एक की अवाप्तशुदा एवं कब्जे में ली गई कृषि भूमि का मुआवजा गलत रूप से निर्धारित किया है। दिनांक 31.01.2024 को अवाप्त की जाने वाली भूमि का मुआवजा का निर्धारण किये जाने का आदेश पारित किया है। उक्त आदेश प्रार्थीया के हितों के विपरित है। प्रार्थीया की कृषि भूमि का रकबा जो गजट नोटिफिकेशन में दर्शाया है, उससे अधिक भूमि का कब्जा, प्रार्थीया से लिया गया है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थीया को खसरा नम्बर 466 की 0.4013 हैक्टेयर की कृषि भूमि का मुआवजा दिया गया है, लेकिन अप्रार्थीगण ने प्रार्थी संख्या

पेज नं. 03

आर्बीट्रेटर
जिला कलेक्टर, सिरोही

एक की 0.4703 हैक्टेयर कृषि भूमि को कब्जे में ली, जो मौका देखने से स्पष्टतया जाहिर होती है। रेलवे विभाग द्वारा जिस भूमि को अवाप्त किया गया है, वहां खुटियां गाडी गई है। अप्रार्थीगण ने जहां 20–20 मीटर की दूरी पर खुटियां गाडी गई है, वे खुटियां (Row piler) से खुटियों की दूरी 36 मीटर हैं। रेलवे पिलर से प्रार्थी संख्या एक की कृषि भूमि की दूरी 6.35 मीटर अधिक है। इस प्रकार प्रार्थी संख्या एक की खसरा संख्या 466 कृषि भूमि जिसे रेलवे ने उक्त परियोजना हेतु कब्जे में ली है, उसके रकबे का नाप करने पर 0.4703 हैक्टेयर होता है, इस प्रकार अप्रार्थी ने प्रार्थी संख्या एक की 0.0690 हैक्टेयर कृषि भूमि को अधिक कब्जे में ली एवं आज भी अप्रार्थी संख्या दो के कब्जे में है, जबकि प्रार्थी संख्या एक को मात्र 0.4013 हैक्टेयर कृषि भूमि का ही मुआवजा दिया गया है। प्रार्थीया अप्रार्थी से उक्त खसरा संख्या 466 की 0.0690 हैक्टेयर अधिक कब्जे ली गई भूमि का मुआवजा प्राप्त करने की अधिकारी है। यह कि अप्रार्थी संख्या दो ने प्रार्थी संख्या एक की खसरा संख्या 1399/476 रकबा 0.1391 हैक्टेयर पूरे को कब्जे में लिया है, जबकि अप्रार्थी ने प्रार्थी संख्या एक की मात्र 0.1361 हैक्टेयर कृषि भूमि का ही मुआवजा एवार्ड के जरिये दिया गया है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या दो ने प्रार्थी संख्या एक की खसरा संख्या 1399/476 की 0.0030 हैक्टेयर अधिक कब्जे ली गई कृषि भूमि का मुआवजा नियमानुसार प्राप्त करने की अधिकारी है। इस प्रकार प्रार्थी संख्या एक उसकी अधिक कब्जे ली गई कुल कृषि भूमि रकबा 0.0720 हैक्टेयर का मुआवजा अप्रार्थी संख्या दो से प्राप्त करने की अधिकारी है। मौके की स्थिति अनुसार अप्रार्थी संख्या दो ने प्रार्थी संख्या एक की खसरा संख्या 1399/476 की कृषि भूमि के सम्पूर्ण रकबे अर्थात् 0.1391 हैक्टेयर कृषि भूमि को कब्जे में लिया है। अप्रार्थी संख्या एक ने मुआवजे का निर्धारण करने से पूर्व मौके की स्थिति का अवलोकन नहीं किया एवं केवल मात्र गजट नोटिफिकेशन में वर्णित भूमि का ही मुआवजा निर्धारण किया है, जिससे प्रार्थी संख्या एक के साथ भारी गैर इंसाफ हुआ है। यह कि अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण के खसरा संख्या 484 में स्थित कुंए को पूर्णतया अवाप्त किया है, जिससे प्रार्थीगण को उनकी शेष रही कृषि भूमि पर सिंचित खेती करने से वंचित हो रहे है। प्रार्थीगण का विद्युत कनेक्शन उक्त खसरा संख्या 484 की कृषि भूमि पर स्थित कुंए पर लगा हुआ है। उक्त विधुत कनेक्शन को अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण की कृषि भूमि पर शिफ्ट नहीं करवाया है, जिससे विधुत कनेक्शन के अभाव में प्रार्थीगण उनकी कृषि भूमि पर सिचिंत खेती करने से वंचित हो रही है। प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण से उक्त कृषि भूमि पर खेती न कर पाने के कारण मुआवजा रूपये 10,00,000/– अक्षरे दस लाख रूपये प्राप्त करने के अधिकारी है। खसरा संख्या 484 की कृषि भूमि पर स्थित कुंए से प्रार्थीगण अपने खातेदारी की शेष कृषि भूमि पर खेती करने से वंचित हो रहे है तथा उक्त कृषि भूमि पर बबूल उग आये है, जिसे उखाडवाने का खर्चा प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण से रूपये एक लाख पृथक से प्राप्त करने के अधिकारी है। यह कि अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण के खसरा संख्या 484 में स्थित कुएं को पूर्णतया अवाप्त किया है, जिससे प्रार्थी संख्या एक उसकी शेष रही कृषि भूमि खसरा संख्या 466 रकबा 0.5597 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1399/476 रकबा 0.0030 हैक्टेयर, खसरा संख्या 475 रकबा 0.5437 हैक्टेयर, खसरा संख्या 469 रकबा 0.5943 हैक्टेयर कुल 1.7007 हैक्टेयर पर सिचिंत खेती करने से वंचित रही है। इसी प्रकार प्रार्थी संख्या दो उसकी शेष रही कृषि भूमि खसरा संख्या 470 रकबा 0.8852 हैक्टेयर, खसरा संख्या 474 रकबा 0.8093 हैक्टेयर कुल 1.6945 हैक्टेयर पर सिचिंत खेती करने से वंचित रहा है। उपरोक्त शेष रही कृषि भूमि संयुक्त पर प्रार्थीगण सिचिंत खेती करने से पिछले वर्ष अगस्त माह से

पेज नं. 04

आर्बीट्रेटर
जिला कलक्टर, सिरोही

पूरे वर्ष तक एवं इस वर्ष भी वंचित रहे है। यह कि प्रार्थी संख्या दो का उक्त खसरा संख्या 484 पर स्थित कुएं पर विद्युत कनेक्शन लगा हुआ है। उक्त विद्युत कनेक्शन अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण की कृषि भूमि पर शिफ्ट नहीं करवाया है। विद्युत कनेक्शन के अभाव में प्रार्थीगण उक्त कृषि भूमि पर खेती करने व करवाने से वंचित हो रहे है, जिससे प्रार्थी संख्या एक व दो अप्रार्थीगण से उक्त कृषि भूमि पर खेती नहीं करपाने का मुआवजा रूपये 5,00,000/– अलग–अलग तथा वर्तमान में भी फसल नहीं बो पाने का मुआवजा रूपये 5,00,000/– कुल रूपये 10,00,000/– प्राप्त करने के अधिकारी है। यह कि खसरा संख्या 484 में स्थित कुंए का तकनीकी इंजीनियर द्वारा सर्वे नहीं करवाया गया है। प्रार्थीगण को कुंए का तथाकथित सर्वे करवाते समय न तो बुलावाया है एवं न ही कोई सूचना दी गई है। तकनीकी सर्वे किस आधार पर किया गया है, यह भी सर्वे रिपोर्ट में नहीं दर्शाया है। तथाकथित सर्वे गुपचुप तरीके से किया गया होना प्रतीत होता है। कुंए का-मुआवजा अप्रार्थी ने सर्वथा गलत रूप से निर्धारित किया है। खसरा संख्या 484 पर स्थित कुंए की लागत का कुल मुआवजा राशि रूपये 1,00,000/– निर्धारित किया है, जो सर्वथा कम है। उक्त कुंआ मौके पर पक्का बना हुआ है एवं उक्त कुएँ में भरपूर मीठा पानी है। उक्त कुंए को नये सर खुदवाने एवं बंधवाने की कुल लागत वर्तमान में रूपये 10,00,000/– से अधिक हैं। उक्त कुएं पर विद्युत कनेक्शन लेने में, फाईल भरने में, विद्युत पोल लगवाने में करीब 5,00,000/– रूपये का व्यय होता है। विधुत विभाग में प्रार्थीगण के विद्युत कनेक्शन को शिफ्ट करने से मना किया है एवं नये सर विद्युत कनेक्शन लेने हेतु प्रार्थीगण को निर्देशित किया है। कुंए पर नये सर विधुत कनेक्शन लेने का खर्चा करीब पांच लाख रूपये के होता है। अप्रार्थीगण ने मुआवजे का निर्धारण करते समय उक्त तथ्यों पर गौर नहीं कर प्रार्थीगण के साथ भारी गैर इंसाफ किया है। यह कि अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को निम्न वर्णित अस्थाई संरचना का मुआवजा नहीं दिया है–

1. Three phase electrical panel board (Up to 10 HP)
2. 2" HDPE PIPE 6 kg Pressure 20 Rmt.
3. 2.5 mm 2-3 Core flexible Copper Cable Finolex Make-30 Rmt.
4. 5 HP Submersible Electric Motor-Pump 3-phase,KSB Make- 1 No.

यह कि प्रार्थीया की अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा प्रार्थीया मौके की स्थिति अनुसार एवं उसे हुए नुकसान के आधार पर प्राप्त करने की अधिकारी है, क्योंकि प्रार्थीया की आराजी रेलवे सीमा से 100 मीटर की परिधि में है। यह कि तारंगाहिल आबूरोड में न्यू रेलवे लाईन प्रोजेक्ट के तहत् भूमि अवाप्ति के दौरान दिनांक 28.12.2023 को सुनवाई रखी गई, जिसमें भूमि अवाप्ति के हितबद्ध धारियों द्वारा क्लेम व आपत्तियां भी प्रस्तुत की गई थी, लेकिन अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आपत्ति व क्लेम पर गम्भीरता से विचार नहीं किया है तथा मौके की स्थिति के अनुसार प्रार्थीगण की अधिक अवाप्त की गई कृषि भूमि का मुआवजा प्रार्थीगण को नहीं दिया गया है, जिससे प्रार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी है। यह कि दिनांक 26.02.2024 का अप्रार्थी संख्या एक द्वारा मुआवजा प्राप्त करने हेतु नोटिस जारी किया गया है, जिस पर एवार्ड की जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा सर्वथा कम, गलत एवं मनमाने ढंग से निर्धारित किया गया है, जिस पर प्रार्थीया ने पुनः जांच कर सही मुआवजा निर्धारित किये जाने हेतु अप्रार्थी संख्या एक के पास आवेदन किया, लेकिन प्रार्थीया के आवेदन पर अप्रार्थीगण ने किसी प्रकार का कोई ध्यान नही दिया, जिससे प्रार्थीगण के हितों पर गम्भीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। यह कि अप्रार्थीगण ने अन्य देय

पेज नं. 05

आर्बीट्रेटर
जिला कलक्टर, सिरोही

लाभ भी प्रार्थीगण को नहीं दिलवाया है, जिससे प्रार्थीगण की उक्त लाभों से वंचित रहे है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि के अवाप्त होने से प्रार्थीगण मानसिक सदमें में रहे है। अप्रार्थीगण ने विधिक एवं मानवीय दृष्टिकोण एवं पारदर्शिता को ध्यान में रखकर एवार्ड पारित नहीं किया गया है, उक्त एवार्ड प्रथम दृष्ट्या दोषपूर्ण होने से निरस्त योग्य है। यह कि अप्रार्थी संख्या एक ने स्पीकिंग आदेश पारित कर एवार्ड जारी नहीं किया है। अप्रार्थीगण ने विधिक प्रावधानों की अनदेखी कर तथ्यों के विपरित जाकर आलौच्य एवार्ड पारित किया है। उक्त एवार्ड पारित करने में अप्रार्थीगण ने अपने विवेक का उपयोग नहीं किया है। यह कि यह आवेदन माननीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का है। रेल मंत्रालय ने अधिसूचना S.O.267(E) दिनांक 09 जुलाई 2024 को जारी कर उक्त स्पेशल रेलवे प्राजेक्ट तारंगाहिल– आबूरोड वाया अम्बाजी न्यू बॉडग्रेज लाईन राजस्थान के लिए श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय सिरोही को आरबीट्रेटर नियुक्त किया है एवं बनाया है। अतः प्रार्थीगण का नम्र निवेदन है कि प्रार्थीगण का यह आवेदन स्वीकार फरमाया जाकर सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित किये गये एवार्ड को अपास्त किये जाने के आदेश प्रदान करावें तथा प्रार्थीया की अधिक अवाप्त की गई कृषि भूमि का मुआवजा, कुंए एवं अन्य संरचनाओं का मुआवजा, सिंचित खेती करने से वंचित रहने का मुआवजा, विद्युत कनेक्शन शिफ्ट करवाने का मुआवजा, अस्थायी संरचनाओं का मुआवजा आदि प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या एक के कार्यालय में प्रस्तुत किये गये क्लेम अनुसार एवं प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत आपत्ति में वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किये जाने के आदेश प्रदान करावें तथा साथ ही एवार्ड में बढोतरी किये जाने के आदेश प्रदान करावे तथा अन्य कोई लाभ जो हितकर प्रार्थीगण न्यायोचित प्रतीत हो उसे भी दिलाये जाने की प्रार्थना है।

अप्रार्थी संख्या एक की ओर से प्रस्तुत जवाब में यह अंकित किया गया है कि ग्राम सांतपुर के खसरा नम्बर 484 रकबा 0.1265 हैक्टेयर प्रार्थी संख्या 1 की 1/4, 1/4 हिस्सों की खातेदारी भूमि है व खसरा नम्बर 1399/476, 466, 469, 475 प्रार्थी संख्या एक व खसरा नम्बर 470, 474, 476/1, 477, 479 प्रार्थीगण के नाम खातेदारी दर्ज है। यह कि खसरा नम्बर 466 में से 0.4013 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1399/476 में से 0.1361 हैक्टेयर एवं 484 में से 0.1265 हैक्टेयर भूमि अवाप्त की गई है। यह कि प्रार्थीगण के खातेदारी खसरा नम्बर 466 की भूमि रेलवे लाईन के संरेखण में आने वाली भूमि का सही आंकलन किया गया है। खसरा नम्बर 466 में से 0.4013 हैक्टेयर भूमि ही संरेखण में आती है तथा खसरा नम्बर 1399/476 रकबा 0.1361 हैक्टेयर ही रेलवे लाईन के संरेखण में आती है। जिस पर उसके मुआवजे का निर्धारण किया गया। यह कि प्रार्थीगण द्वारा जान बूझकर कृषि कार्य नही किया गया है। प्रार्थीगण के खातेदारी में अलग से कुआं स्थित है तथा प्रार्थीगण कृषि कार्य नहीं करने से अलग से मुआवजा की मांग भी गलत रूप से कर रहे है। यह कि खसरा नम्बर 484 कुआं का सर्वे सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियन्ता से सर्वे कराया गया है तथा मौके पर जो पाईप वगैरह थे, उसका सही आंकलन किया गया है तथा मुआवजे का निर्धारण सही व मौके की स्थिति के अनुसार किया गया है। यह कि प्रार्थीगणों को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जाकर एवं मौके की स्थिति अनुसार मुआवजे का निर्धारण किया गया है। अतः प्रार्थीगणो को उनकी भूमि का उचित मुआवजा विधिक, मानवीय दृष्टिकोंण एवं पारदर्शिता को ध्यान में रखकर अवार्ड पारित किया गया है एवं प्रार्थीगणो की भूमि के मुआवजे का निर्धारण बिना किसी भेदभाव के किया गया है। यह

आर्बीट्रेटर
जिला कलक्टर, सिरोही

कि प्रार्थीगण की रेलवे लाईन के संरेखण में आने वाली भूमि का संयुक्त जांच सर्वे कराकर मुआवजे का निर्धारण किया गया है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थीगण की रेलवे लाईन के संरेखण में आने वाली भूमि के मुआवजे का निर्धारण सही किया गया है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दफ्तर दाखिल फरमायें।

अप्रार्थी संख्या दो के लायक अधिवक्ता श्री वीरेन्द्र एम चौहान एवं रेलवे विभाग की ओर से प्रतिनिधी श्री थानाराम देवासी द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि ग्राम सांतपुर के खसरा नम्बर 484 रकबा 0.1265 हैक्टेयर प्रार्थी संख्या 1 की 1/4, 1/4 हिस्सों की खातेदारी भूमि है व खसरा नम्बर 1399/476, 466, 469, 475 प्रार्थी संख्या एक व खसरा नम्बर 470, 474, 476/1, 477, 479 प्रार्थीगण के नाम खातेदारी दर्ज है। यह कि खसरा नम्बर 466 में से 0.4013 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1399/476 में से 0.1361 हैक्टेयर एवं 484 में से 0.1265 हैक्टेयर भूमि अवाप्त की गई है। यह कि प्रार्थीगण के खातेदारी खसरा नम्बर 466 की भूमि रेलवे लाईन के संरेखण में आने वाली भूमि का सही आंकलन किया गया है। खसरा नम्बर 466 में से 0.4013 हैक्टेयर भूमि ही संरेखण में आती है तथा खसरा नम्बर 1399/476 रकबा 0.1361 हैक्टेयर ही रेलवे लाईन के संरेखण में आती है। जिस पर उसके मुआवजे का निर्धारण किया गया। यह कि प्रार्थीगण द्वारा जान बूझकर कृषि कार्य नही किया गया है। प्रार्थीगण के खातेदारी में अलग से कुआं स्थित है तथा प्रार्थीगण कृषि कार्य नहीं करने से अलग से मुआवजा की मांग भी गलत रूप से कर रहे है। यह कि खसरा नम्बर 484 कुआं का सर्वे सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियन्ता से सर्वे कराया गया है तथा मौके पर जो पाईप वगैरह थे, उसका सही आंकलन किया गया है तथा मुआवजे का निर्धारण सही व मौके की स्थिति के अनुसार किया गया है। यह कि प्रार्थीगणों को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जाकर एवं मौके की स्थिति अनुसार मुआवजे का निर्धारण किया गया है। अतः प्रार्थीगणो को उनकी भूमि का उचित मुआवजा विधिक, मानवीय दृष्टिकोंण एवं पारदर्शिता को ध्यान में रखकर अवार्ड पारित किया गया है एवं प्रार्थीगणो की भूमि के मुआवजे का निर्धारण बिना किसी भेदभाव के किया गया है। यह कि प्रार्थीगण की रेलवे लाईन के संरेखण में आने वाली भूमि का संयुक्त जांच सर्वे कराकर मुआवजे का निर्धारण किया गया है। इसके अतिरिक्त रेलवे विभाग के प्रतिनिधी की ओर से निवेदन किया गया कि उपरोक्त वर्णित भूमि के मुआवजे की समस्त कार्यवाही राजस्व विभाग की ओर से की गई है तथा उनकी ओर से पारित अवार्ड अनुसार रेलवे विभाग द्वारा अवार्ड राशि भूमि अवाप्ति अधिकारी आबूरोड के खाते में जमा करवा दी गई है। भूमि अवाप्त अधिकारी आबूरोड द्वारा उक्त खसरा नम्बरान को उपलब्ध साक्ष्य अनुसार अवार्ड पारित किया गया है, जो भूमि अवाप्ति अधिकारी से सम्बन्धित है। रेलवे विभाग पारित अवार्ड अनुसार राशि जमा कराने तक सीमित है तथा भूमि अवाप्ति अधिकारी या न्यायालय के आदेशानुसार कोई संशोधित अवार्ड पारित किया जाता है तो संशोधित अवार्ड अनुसार अन्तर राशि रेलवे विभाग जमा कराने हेतु बाध्य है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थीगण की रेलवे लाईन के संरेखण में आने वाली भूमि के मुआवजे का निर्धारण सही किया गया है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दफ्तर दाखिल फरमायें।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं अवाप्ति अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूरोड एवं अप्रार्थी संख्या दो द्वारा प्रस्तुत जबाव का भी

पेज नं. 07

आर्बिट्रेटर
जिला कलक्टर, सिरोही

अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया एवं पत्रावली के अवलोकन के उपरान्त न्यायालय का मत है कि मौजा सांतपुर तहसील आबूरोड जिला सिरोही के खसरा संख्या 466 में से 0.4013 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1399/476 में से 0.1361 हैक्टेयर एवं 484 में से 0.1265 हैक्टेयर भूमि सक्षम प्राधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) आबूरोड द्वारा तारंगाहिल–अम्बाजी–आबूरोड विशेष रेल लाईन परियोजना हेतु अवाप्त की गई थी एवं उपरोक्त अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूरोड द्वारा खसरा संख्या 466 में से 0.4013 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1399/476 में से 0.1361 हैक्टेयर एवं 484 में से 0.1265 हैक्टेयर भूमि को सिंचित भूमि मानकर एवं सडक सीमा से 101 से 500 मीटर की दूरी पर स्थित होना मानकर दिया गया था। प्रार्थी अधिवक्ता का कथन है कि अप्रार्थीगण द्वारा तारंगाहिल–अम्बाजी–आबूरोड विशेष रेल लाईन परियोजना हेतु प्रार्थी की उपरोक्त वर्णित भूमि खसरा संख्या 466 में से 0.4703 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 1399/476 का सम्पूर्ण रकबा 0.1391 हैक्टेयर भूमि अवाप्त की गई है, जबकि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी की उपरोक्त वर्णित भूमि खसरा संख्या 466 में से 0.4013 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1399/476 में से 0.1361 हैक्टेयर भूमि का मुआवजा दिया गया है। इसके विपरीत अप्रार्थी संख्या दो के अधिवक्ता एवं उनके प्रतिनिधी द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि उपरोक्त वर्णित भूमि के मुआवजे की समस्त कार्यवाही राजस्व विभाग की ओर से की गई है तथा उनकी ओर से पारित अवार्ड अनुसार रेलवे विभाग द्वारा अवार्ड राशि भूमि अवाप्ति अधिकारी आबूरोड के खाते में जमा करवा दी गई है। रेलवे विभाग पारित अवार्ड अनुसार राशि जमा कराने तक सीमित है तथा भूमि अवाप्ति अधिकारी या न्यायालय के आदेशानुसार कोई संशोधित अवार्ड पारित किया जाता है तो संशोधित अवार्ड अनुसार अन्तर राशि रेलवे विभाग जमा कराने हेतु बाध्य है। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से पाया जाता है कि प्रार्थी की उपरोक्त वर्णित भूमि की अवाप्ति से सम्बन्धित अधिसूचना दिनांक 10.05.2023 को जारी की गई, जिसमें प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 466 की भूमि में से 0.4703 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 1399/476 का सम्पूर्ण रकबा 0.1391 हैक्टेयर भूमि तारंगाहिल–अम्बाजी–आबूरोड विशेष रेल लाईन परियोजना हेतु अवाप्ति हेतु दर्शाया गया। इसके पश्चात रेलवे विभाग द्वारा पुनः संशोधित अधिसूचना दिनांक 22.08.2023 को जारी की गई, जिसमें प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 466 में से 0.4013 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1399/476 में से 0.1361 हैक्टेयर भूमि अवाप्ति हेतु अंकित की गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं नजरी नक्शे के आधार पर यह प्रतीत होता है कि अप्रार्थीगण द्वारा तारंगाहिल–अम्बाजी–आबूरोड विशेष रेल लाईन परियोजना हेतु उपरोक्त वर्णित भूमि की अवाप्ति की कार्यवाही के दौरान रेलवे लाईन के संरेखण में आने से प्रार्थीगण की खसरा संख्या खसरा संख्या 466 में से 0.4703 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 1399/476 का सम्पूर्ण रकबा 0.1391 हैक्टेयर भूमि अवाप्त किया जाना प्रतीत होता है, जिसके सम्बन्ध में अप्रार्थी संख्या दो द्वारा ऐसा किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह साबित होता हो कि अप्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त वर्णित भूमि में से अतिरिक्त भूमि अवाप्त नहीं की गई है तथा अप्रार्थी संख्या दो के प्रतिनिधि के द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि यदि प्रार्थीगण की अतिरिक्त भूमि अवाप्त की गई है तो वह अप्रार्थी संख्या एक सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अवाप्त की गई है। अतः इससे यह प्रतीत होता है कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी की खसरा संख्या 466 में से 0.4013 हैक्टेयर भूमि की जगह पर रकबा 0.4703 हैक्टेयर भूमि एवं खसरा संख्या 1399/476 में से 0.1361 हैक्टेयर की जगह पर सम्पूर्ण रकबा 0.1391 हैक्टेयर भूमि को अवाप्त किया गया है तथा अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण की अतिरिक्त अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा प्रार्थीगण को

आर्बीट्रेटर
जिला कलक्टर, सिरोही

अदा नहीं किया गया है, जो उचित प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थीगण द्वारा इस सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूरोड के कार्यालय में आपत्ति भी प्रस्तुत की गई, परन्तु उस पर किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं गई। इसके अतिरिक्त अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 484 पर स्थित विद्युत कनेक्शन को भी अन्य जगह पर स्थानान्तरित नहीं किया गया है, जिसके सम्बन्ध में अप्रार्थीगण द्वारा किसी भी प्रकार का कोई कथन नहीं किया गया है और न ही ऐसा किसी भी प्रकार का कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता हो कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी का विद्युत कनेक्शन अन्य किसी जगह पर स्थानान्तरित कर दिया गया है या प्रार्थी को उसका मुआवजा अदा किया गया है। अतः इससे यह प्रतीत होता है कि अप्रार्थीगण द्वारा न तो प्रार्थीगण के विद्युत कनेक्शन का किसी अन्य जगह पर स्थानान्तरित किया गया है और न ही उसका मुआवजा प्रार्थीगण को अदा किया गया है, जो उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अभिलेखों की रोशनी में यह पाया जाता है कि उपरोक्त वर्णित खसरा संख्या 466 एवं खसरा संख्या 1399/476 की भूमि में से अतिरिक्त अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूरोड द्वारा प्रार्थी को नहीं दिया गया है, जिसे प्रार्थी को नुकसानकारित होना प्रतीत होता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूरोड द्वारा उपरोक्त वर्णित खसरा संख्या 466 एवं खसरा संख्या 1399/476 की भूमि के सम्बन्ध में पारित मुआवजा आदेश को निरस्त किया जाकर प्रकरण भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूरोड को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि खसरा संख्या खसरा संख्या 466 में से 0.4703 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 1399/476 का सम्पूर्ण रकबा 0.1391 हैक्टेयर भूमि अवाप्त किए जाने से उसके मुआवजे का निर्धारण कर प्रार्थी को अदा किया जावे। मुआवजा निर्धारण की शेष शर्तें यथावत रहेंगी। साथ ही सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूरोड को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थी संख्या दो से समन्वय कर प्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 484 में स्थित विद्युत कनेक्शन को नियमानुसार या तो अन्यत्र स्थानान्तरित करने की कार्यवाही करावें अन्यथा उसका मुआवजा प्रार्थीगण को अदा करें।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(अल्पा चौधरी)
जिला कलक्टर,(आरबीट्रेटर)
सिरोही (राज0)